

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष : विकाश शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र० 09ए/2017

F.No.09/2017

संस्थापित दिनांक 17.01.2016

मुनेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्रीप्रसाद शर्मा उम्र
 31 वर्ष निवासी महावीर नगर वी.टी.आई.
 स्कूल के पीछे भिण्ड म०प्र०

.....आवेदक/वादी

वि रू द्ध

1. श्रीप्रसाद पुत्र ख्याली उम्र 70 वर्ष
2. राजकिशोर शर्मा पुत्र श्रीप्रसाद उम्र 31 वर्ष
 निवासीगण महावीर नगर वी.टी.आई.
 स्कूल के पीछे भिण्ड म०प्र०

..... अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

(आज दिनांक **16.01.2018** को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी (आई.ए.नम्बर-1) का निराकरण करेगा।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 का प्रतिवादी क्रमांक 1 पिता है।
3. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर हिंदू विधि के मितक्षरा कानून से शासित हैं तथा उनका परिवार संयुक्त हिंदू परिवार है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी व प्रतिवादी क्रमांक 2 के भविष्य को देखते हुये मौजा विक्रम पुरा महावीर नगर भिण्ड में गंगोले से एक भूखण्ड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.6.1999 के अनुसार क्रय किया, जिस पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 ने अपनी मेहनत व कमाई से निर्माण कार्य कराया और

अपने-अपने हिस्से में निवास करने लगे। वादी उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन में सेवारत है, जिस कारण वादी समय समय पर अवकाश लेकर आता है और मकान में निवास करता है। प्रतिवादी क्रमांक 2 का पूरा परिवार भी इसी मकान में निवास करता है। सुविधा की दृष्टि से अधिक निर्मित भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 2 निवास करता है तथा कम निर्मित भाग पर एवं उपर बने कमरों में वादी का निवास है। वादग्रस्त मकान का अभी बटवारा नहीं हुआ है। वादी के पिता आदतन शराब पीते हैं और प्रतिवादी क्रमांक 2 बहला फुसला कर वादी के स्वत्व को क्षति पहुँचाने के आशय से वादग्रस्त मकान में वादी के हिस्से को हड़पना चाहता है, जबकि वादग्रस्त मकान ग्राम पृथ्वीपुर जिला औरैया स्थित पैतृक कृषि भूमि को विक्रय कर कय किया गया था, इस प्रकार वादग्रस्त मकान वादी एवं प्रतिवादीगण का पैतृक मकान है। वादग्रस्त मकान पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में है। अतः वादी ने स्वयं का एवं कमलेश कुमार शपथपत्र पेश कर यह आवेदन प्रस्तुत कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है कि मामले के निराकरण तक वादग्रस्त मकान पर प्रतिवादीगण वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न करें और न ही विक्रय करें।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने संयुक्त रूप से लिखित कथन प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि वादग्रस्त मकान वादी ने अपनी कमाई से नहीं बनाया बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा अपनी कमाई से बनाया गया है। वादग्रस्त मकान का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया है। अतः वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के द्वारा आवेदन के जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. **आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—**

क्या प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में है तथा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या

आवेदक/वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

6. वादी का अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादग्रस्त मकान वाले भूखण्ड को विक्रय पत्र दिनांक 11.6.1999 के अनुसार क्रय किया था। वादी की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 11.6.1999 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा वादग्रस्त मकान वाले भूखण्ड को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उपरोक्त विक्रय पत्र अनुसार क्रय किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विक्रय पत्र दिनांक 11.6.1999 के अनुसार वादग्रस्त मकान का स्वामी प्रतिवादी क्रमांक 1 है।

7. वादी ने यह वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। वादी के अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन के अनुसार वादी ने वादग्रस्त संपत्ति पर स्वयं के स्वत्व के अभिवचन के पद क्रमांक 3 एवं 5 में यह आधार बताये है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादग्रस्त मकान वाला प्लॉट वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये क्रय किया था तथा दूसरा आधार यह है कि वादग्रस्त मकान को उनकी ग्राम पृथ्वीपुर स्थित कृषि भूमि को विक्रय कर क्रय किया गया था। वादी की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से ऐसा दर्शित नहीं होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा वादग्रस्त मकान वाला प्लॉट वादी व प्रतिवादी क्रमांक 2 के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये क्रय किया गया तथा ग्राम पृथ्वीपुर स्थित भूमि को विक्रय कर क्रय किया गया। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया वादी के स्वत्व के संबंध में किये गये उसके अभिवचन का समर्थन उसकी ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र से नहीं होता है।

8. वादी का यह भी अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन है कि वादग्रस्त मकान वाले भूखण्ड पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 ने अपनी कमाई व मेहनत से निर्माण कार्य कराया, जबकि प्रतिवादीगण ने वादी के उक्त अभिवचन को लिखित कथन में स्पष्टतः इंकार किया है, ऐसी स्थिति में इस प्रक्रम पर यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त मकान वाले भूखण्ड पर

निर्मित भाग का निर्माण कार्य वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा कराया गया है।

9. वादी की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र के अनुसार ही वादग्रस्त मकान प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वत्व का मकान है। अतः उपरोक्त के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य होना प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं है।

10. जहाँ तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया गया है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रथम दृष्टया वादी का आधिपत्य होना भी दर्शित नहीं है, तब ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादी के पक्ष में होना नहीं पायी जाती है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की संभावना भी वादी के पक्ष में नहीं है।

11. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में होने से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक-16.01.2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)